

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.वि./बी.पी.सी./2013/सी-1407

दिनांक- 27/9/2023

श्री हरितश्याम असाठी,
सहायक निदेशक, पक्कर्स (ई एण्ड एम),
एयरफोर्स नॉवेल हाउसिंग बोर्ड,
एयरफोर्स स्टेशन, पेस कौर्स,
नई दिल्ली-110003

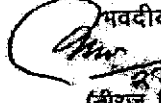
विषय:- खसरा नम्बर 55/1, (पार्ट) ग्राम-बोयतावाला, तहसील-जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन संबंधित।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2012 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 55/1, (पार्ट), ग्राम-बोयतावाला, तहसील-जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) में दिनांक 11.01.2013 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है :-

1. यह भवन अनुमोदन माह सितंबर-2020 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उत्खनन (अवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनेल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उत्खनन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उत्खनन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक्कदार नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपयुक्त एग्रेस को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा छी पावस ले लिया जावेगा।
6. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, मुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
7. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
8. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
9. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
10. स्वामी भवन के परिवार को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

11. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
12. स्वीकृत मानचित्र की प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।
13. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
14. आवेदक द्वारा जारी किये जा रहे अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार वेसमेन्ट/स्ट्रिट के पार्किंग क्षेत्र को अन्डरटेकिंग/समर्पणनाम अनुसार भवन निर्मित होने पर जविप्रा के पक्ष में समर्पित किया जाना होगा एवं जिसका कब्जा समायुक्त जोन द्वारा विधिवत प्राप्त किया जायेगा।
15. भवन परिसर में ही आगुत्तकों की पार्किंग करवाई जाये तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगाया जावे।
16. भवन विनियम की धारा 18.5 की अनुपालना में भवन में आप द्वारा भूकम्परोधी प्रवधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
17. अग्निरक्षा दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाती आवश्यक होगी।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण एवं उपलब्ध पार्किंग की सूचना जविप्रा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समुदाय स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।
19. अधिवास (गण भवन) भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
20. परिवारण प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र की अनुपालना आप द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।

भवदीय

 (नीरज सिवाड़ी)
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियोजक (प्रवर्धक), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपयुक्त, जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक जोन-12, जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ भेजकर लेख है कि कृपया अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति उपयुक्त जोन से प्राप्त करें।
4. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सर्वेयर, बीपीसी-द्वितीय, जविप्रा, जयपुर को साइट निरीक्षण पत्रावली हेतु।
5. अध्यक्ष एवं प्रमुख निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन जनपथ, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय एवं स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सनपुरा रोड, रेलवे हॉस्पिटल के पास, जयपुर।

(नीरज सिवाड़ी)
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।